सिफारिशें

विभाग विचार कर सकता है:

1. *अवैध खनन गतिविधियों की पहचान में तेजी लाने के लिए रिमोट सेंसिंग/जीआईएस तकनीक जैसे गूगल अर्थ प्रो के साथ अन्य आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करना;*
2. *खननपट्टों के ओवरलैपिंग को दूर करने के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके सभी मौजूदा खननपट्टों का मानचित्रण करना;*
3. *नीलामी नहीं किए गए गैप क्षेत्रों के लिए अधिकारियों पर जवाबदेही तय करना और गैप क्षेत्रों की नीलामी के लिए प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा निर्धारित करना;*
4. *जब भी उत्खनित मात्रा ईसी द्वारा अनुमत्त सीमा को पार करे तो डीएमजीओएमएस प्रणाली में रवन्ना जारी को प्रतिबंधित करने के लिए ऑटो ब्लॉक की व्यवस्था संस्थापित करना, साथ ही अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों के लिए राशि की वसूली में तेजी लाना;*
5. *ऑनलाइन मांग और संग्रहण लेखा में मांग को अपलोड करने के बाद ही मांग नोटिस जारी करने के लिए डीएमजीओएमएस में एक प्रणाली संस्थापित करना;*
6. *खनन की अनुमति दिये गये सभी एसटीपी का मानचित्रण करना एवं निर्देशांक को अपलोड करना;*
7. *ई-रवन्ना में प्रेषण के स्थान और गंतव्य के बीच की दूरी को मापने के लिए जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करना;*
8. *वाहनों में जीपीएस संस्थापन और आरएफआईडी प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसी अच्छी तकनीक को अपनाना जैसा कि अन्य राज्यों द्वारा शुरू की गई है और खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान द्वारा प्रस्तावित है;*
9. *कदाचार को रोकने के लिए राज्य भर में तुला पुलों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु एकल सॉफ्टवेयर का विकास या अनुमोदन जिस पर विभाग का समग्र नियंत्रण हो;*
10. *आईटी प्रणाली के माध्यम से एक केन्द्रीकृत केन्द्र पर तुला पुलों की निगरानी को सुदृढ करना;*
11. *अवैध परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के प्रकरणों को परिवहन विभाग के पास कार्यवाही के लिए भेजना ताकि वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके;*
12. *अवैध खनन पर शिकायतों की जांच के लिए डीएमजीओएमएस में उपलब्ध दिनांक और तस्वीरों का बेहतर उपयोग करना तथा कदाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करना ताकि एक निवारक के रूप में कार्य किया जा सके;*
13. *राजस्थान के परिवहन विभाग द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पंचनामों को मुद्रित क्रमांकों के साथ उपयोग करने की अच्छी प्रथा को अपनाना;*
14. *विवरणी दाखिल नहीं करने वाले/विलंब से दाखिल करने वालों की रिपोर्ट तैयार करने और उन्हें प्रणाली द्वारा स्वतः नोटिस जारी करने के लिए प्रणाली में उपयुक्त परिवर्तन किया जाना;*
15. *अधिशुल्क भुगतान किए गए खनिजों की आवाजाही की प्रभावी निगरानी के लिए डीलरों के लिए आवधिक विवरणी के प्रावधान करना;*

16. *खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में खनन गतिविधियों का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए माह में विवरणियों की नमूना जांच किया जाने के प्रावधान करना;*
17. *खदान अनुज्ञप्ति से प्रत्येक निर्गमन के लिए खनिज के स्रोत का पता लगाने के लिए खनिज के साथ एक अनिवार्य वैध दस्तावेज का प्रावधान करना;*
18. *खनन पट्टों के निरीक्षण के समय लिए गए फोटो सहित निरीक्षणों का विवरण डीएमजीओएमएस पर ऑनलाइन संधारित किये जाने के प्रावधान करना । इसके अलावा, निरीक्षण के लिए पट्टों का चयन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जावे ताकि एक निश्चित समयावधि के भीतर एक खण्ड के सभी पट्टों का निरीक्षण किया जा सके;*
19. *पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नीमकाथाना के पट्टाधारकों द्वारा शुरू किए गए सफल वृक्षारोपण की अच्छी प्रथा को अपनाएं;*
20. *माननीय न्यायालयों के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करें;*
21. *दोहराव से बचने और उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए खण्ड कार्यालयों और सतर्कता कार्यालयों के अधिकारियों को सौंपे गए कर्तव्यों की समीक्षा करें और सतर्कता विंग के कामकाज को मजबूत करने के उपाय करें;*
22. *उत्खनित खनिजों की मात्रा मापने के लिए नवीनतम तकनीक अपनाएं ।*